लैंगिक दुर्व्यवहार की प्रकृति एवं प्रकार -
Nature and Types of Sexual abuse :-

"लैंगिक" दुर्व्यवहारों की प्रकृति को समझना आसान नहीं है क्यों कि इनकी कोई सीमा या लक्ष्मण रेखा नहीं है। और भारतीय नारी त्याग तथा आदर्श की प्रतिमूर्ति मानी जाती है तथा यह अवधारणा उनके भीतर तक घर कर गयी है कि स्वयं अपने साथ हो रहे लैंगिक दुर्व्यवहारों को दुर्व्यवहार नहीं मानती है।

Exp: पुत्री की उत्पत्ति होने पर पुरुष यदि दुखी होता है तो घर की स्त्रियाँ भी उससे अधिक पुरुषों के हित और मंगलकामना के लिए किसी भी स्थिति को पार कर जाती है, जिसे देखकर ही यह वर्ग बड़ा होता है जिससे वह स्त्रियों पर सदैव शासन करता है। आदेश चलाता है और बालिकाओं के जन्म से ही पिता, पति, पुत्र के संरक्षण में रहना, उनके हित और पसंद के कार्य करने को सिखाया जाता है।

लैंगिक दुर्व्यवहारों का सामना स्त्रियों और अब तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त किन्नरों को भी करना

पड़ता है।

"लैंगिक दुर्व्यवहार" से तात्पर्य ऐसे व्यवहारों से है जो लिंग विशेष की स्वतन्त्रता, समानता, अधिकारों और उसकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और मन को ठेस पहुँचाये। महात्मा बुद्ध ने 'अहिंसा परमो धर्म' का मार्ग दिखाया और इसके अन्तर्गत शाब्दिक हिंसा को भी निषिद्ध किया। ठीक इसी प्रकार लैंगिक दुर्व्यवहारों में मारना पीटना ही नहीं भावात्मक और शाब्दिक दुर्व्यवहार द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी आता है। लैंगिक दुर्व्यवहारों की पहचान कर इसके प्रकार इस तरह किये जाते हैं-

लैंगिक दुर्व्यवहारों की पहचान तथा उनसे किस प्रकार बचाव किया जा सकता है, इसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) शारीरिक एवं हिंसात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार-

शारीरिक तथा हिंसात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार की शिकार स्त्रियाँ घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर होती हैं। इस प्रकार के दुर्व्यवहारों की पहचान तथा कुछ लक्षण

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

का वर्णनों के द्वारा इनकी पहचान सरलता से होगी।

(1) बालिकाओं तथा महिलाओं को अश्लील चित्रों को दिखाना तथा शारीरिक अंगों पर टीका-टिप्पणी करना।

(2) गलत इरादों से फोटो खींचना, एम०एम०एस० बनाना और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देना।

(3) काम के बहाने देर शाम तक रोकना, इससे भी शारीरिक दुर्व्यवहार की आशंका बढ़ जाती है।

(4) आधुनिक पार्टियों में ले जाना तथा पेय-पदार्थ में नशे की गोली मिलाकर शारीरिक दुर्व्यवहार का प्रयास करना।

(5) पीछा करना (6) शारीरिक दुर्व्यवहार में में मारना-पीटना (7) शारीरिक सम्बन्ध में जबरदस्ती बनाना (8) शरीर के गुप्त अंगों पर चोट करना (9) तेजाब छिड़कना

(10) सिगरेट से जलाना, बाल खींचना, नाखून नोचना, चेहरे को बदसूरत बनाने का प्रयास करना।

(2) मानसिक दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना =

बालिकाओं तथा महिलाओं का घर तथा बाहर

Important Calls	Things to Do	Meetings

08 August 2019
Thursday
Wk 32 • 220-145

AUG '19

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

दोनों ही स्थलों पर मानसिक दुर्व्यवहार तथा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
इन व्यवहारों की पहचान इन बिन्दुओं के आधार पर की जा सकती है —

(1) लड़कियों की शिक्षा, खान-पान तथा रहन-सहन के तरीकों में लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान देना और कम खर्च करना।

(2) सामाजिक कार्यक्रमों तथा रीति-रिवाजों में स्त्रियों की उपेक्षा।

(3) विवाह करने, घर से गृहस्थी बसाने, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव।

(4) काम-काज के कारण पढ़ाई छुड़वाना।

(5) लड़कों की अपेक्षा प्रत्येक खेल में हीन समझना दहेज तथा लड़का उत्पन्न करने के लिए ताने सुनाना।

(6) रंग, रूप इत्यादि को लेकर की जाने वाली टिप्पणी।

(7) अप्रत्यक्ष व्यवहारों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणी।

(8) अंधेरे से भय, उदासीनता का भाव अन्तर्मुखी हो जाना या झल्लाहट इत्यादि।